



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 08.06.2026

1.थाना दादरी पुलिस द्वारा चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मूर्ति के छत्र व अवैध शस्त्र बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 08.06.2026 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले 01 अभियुक्त राजू सिंह उर्फ सोनू पुत्र चतर सिंह को ग्राम शाहपुर खुर्द पुलिया के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 02 मूर्ति के छत्र (सफेद धातु) संबंधित मु0अ0सं0- 144/2026 धारा 305 बीएनएस व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा दुर्गा विशाल मंदिर से उक्त छत्र चोरी किए गए थे, और आज इसे बेचने के लिए ले जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. राजू सिंह उर्फ सोनू पुत्र चतर सिंह निवासी विनोद नगर, थाना कल्याणपुरी, दिल्ली, उम्र लगभग 45 वर्षी

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 144/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 448/2025 धारा 112(2),/305(d),/317(2),/61(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 474/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

- 1- चोरी के 02 मूर्ति के छत्र (सफेद धातु)
- 2- 01 अवैध चाकू

2.थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 01 गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 220 ग्राम गांजा बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 08.06.2026 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त मौहम्मद कैफ पुत्र वसीम को बराही के पीछे कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 220 ग्राम गांजा बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

मौहम्मद कैफ पुत्र वसीम निवासी ग्राम व थाना जहाँगीराबाद, बुलंदशहर वर्तमान पता कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास विवरण--

- 1- मु0अ0सं0 316/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु0अ0सं0 109/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 3- मु0अ0सं0 295/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 4- मु0सं0संं0 571/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 01 किलो 220 ग्राम गांजा